

एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017

धारा 11 : भारत में आयातित या भारत से निर्यातित माल की पूर्ति का स्थान

माल की पूर्ति का स्थान,—

- (क) भारत में आयातित है, तो आयातकर्ता का अवस्थान होगा;
 - (ख) भारत से निर्यातित है, तो भारत के बाहर का अवस्थान होगा।
-